अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–184/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अन्तर्गत)

(21)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
21/12/21	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/सo भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरुआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि **मौजा नुड़ाई थाना संख्या–285 अनाबादी खाता संख्या–219 दाग संख्या–920 रकबा–01 बीघा 16 कट्ठा 18 धूर किस्म–पुरातन पतित** कहकर विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी–।। की सम्यक् जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि रकबा–01 बीघा 16 कट्ठा 17 धूर भूमि की मौजा–नुड़ाई के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–1 पेज संख्या–611 में कुर्बान शेख ग्राम–नुड़ाई के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा स्पष्ट अनुशंसित मंतव्य अंकित किया गया है कि कायम जमाबंदी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड़पने/कब्जा करने के प्रयास के तहत् फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन आवश्यक है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 555/रा0 दिनांक 18.07.2016 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखबद्ध है, के प्रत्युत्तर में पंजी–।। रैयत के पुत्र आईनुल शेख एंव अन्य द्वारा अनिबंधित बन्दोबस्ती परवाना–सह–आठ सरकारी भुलगान रसीद के साथ कारणपृच्छा समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि लम्बे अरसे से बिना किसी उजूर–आपत्ति के भोग दखल किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा समर्पित दस्तावेजों, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एंव राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में अथवा जमाबंदी कायम होने के समर्थन में कोई विधिमान्य स्वत्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनिबंधित बन्दोबस्ती परवाना अथवा हुक्मनामा के संदर्भ में यह लागू है कि जमींदारी उन्मूलन के पूर्व तदुपरान्त सरकारी भू–लगान रसीद वर्षवार अवलोकनीय है। जहॉ तक भू–लगान रसीद का प्रश्न है तो यह विधिमान्य है कि लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है एंव मात्र भू लगान रसीद के आधार पर किसी के स्वत्वाधिकार को बिना ठोस आधार साक्ष्य दस्तावेज के नहीं माना जा सकता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी–।। के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन अति आवश्यक है। **राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक–1704 दिनांक–15.07.2020 से यह स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त है कि वर्ष 01.01.1946 के पूर्व निबंधित बिक्रयपत्र/पट्टा/हुक्मनामा के आधार पर खोले गए जमाबंदी की सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन एंव भौतिक सत्यापन के पश्चात् आदेश पारित करना है।** सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका सरकार एंव लोकहित में विलोपन आवश्यक है। **अतः मौजा नुड़ाई थाना संख्या–285 अनाबादी खाता संख्या–219 दाग संख्या–920 रकबा–01 बीघा 16 कट्ठा 17 धूर किस्म–पुरातन पतित का विपक्षी कुर्बान शेख के नाम मौजा–नुड़ाई के राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–1 पेज संख्या–611 में निराधार कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है।** अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें। लेखापित एंव संशोधित	

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.10 13:33:09 +05:30
Location: 192.168.0.109

अंचल अधिकारी
महेशपुर

अंचल अधिकारी
महेशपुर

Scanned with CamScanner